

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: योजना / 15वीं विधानसभा / द्वितीय सत्र / 2019 / १३५७

दिनांक:— १३/७/१९

—: आदेश :—

राजस्थान विधानसभा में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभाग के आय-व्यय वर्ष 2019-20 की अनुदान मांगों के कटौती प्रस्तावों पर चर्चा हेतु दिनांक 18.07.2019 नियत हैं। अनुदान मांगों के कटौती प्रस्ताव दिनांक 16.07.2019 से प्राप्त होने प्रारम्भ हो जायेंगे। कटौती प्रस्तावों के उत्तर त्वरित गति से तैयार करने होते हैं।

अतः दिनांक 16.07.2019 से 18.07.2019 तक कार्यालय रात्रि तक खुले रहेंगे। इस अवधि में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावें तथा मुख्यालय नहीं छोड़ने हेतु पाबंद करें।

१८.७.१९

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: योजना / 15वीं विधानसभा / द्वितीय सत्र / 2019 / १३५७

दिनांक:— १३/७/१९

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य, आयुर्वेद, चिकित्सा शिक्षा एवं ईएसआई मंत्री महोदय, राजस्थान, सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य, आयुर्वेद, चिकित्सा शिक्षा एवं ईएसआई राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, महोदय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान जयपुर।
5. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन मुख्यालय।
6. अतिरिक्त मिशन निदेशक, एन.एच.एम. एवं निदेशक (आई.ई.सी.) मुख्यालय।
7. परियोजना निदेशक एन.एच.एम. मुख्यालय।
8. उप शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग को भेजकर अनुरोध है कि वे चिकित्सा शिक्षाविभाग से संबंधित समस्त कटौती प्रस्तावों के जवाब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय को समय पर भिजवायेंगे।
9. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-4) विभाग को भेजकर अनुरोध है कि आयुर्वेद विभाग से संबंधित समस्त कटौती प्रस्तावों के जवाब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय को समय पर भिजवायेंगे।
10. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2,3 व 5) विभाग, राजस्थान जयपुर।
11. निदेशक (आरसीएच/एडस) मुख्यालय।
12. निदेशक आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर।
13. निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, अजमेर रोड, जयपुर।
14. निदेशक, भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई, जयपुर।
15. अतिरिक्त निदेशक (आरसीएच/प्रशासन/राजपत्रित/चिकि.प्रशा/आई.ई.सी./ग्रा.स्वा.) मुख्यालय।
16. औषधि नियंत्रक मुख्यालय।
17. समस्त अधिकारीगण निदेशालय।
18. समस्त अनुभाग प्रभारी/संस्थापन/प्रशासनिक/अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी मुख्यालय।
19. श्री राजेश स्टोर कीपर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त गठित प्रकोष्ठ के लिये फोटो कापी मशीन सुचारू रूप से कार्यरत रहें की व्यवस्था करावें।
20. श्री टीकम शर्मा क.लि.स्टोर शाखा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त गठित प्रकोष्ठ के लिये स्टेशनरी आदि की व्यवस्था करावें।
21. संबंधित समस्त कर्मचारीगण कटौती प्रस्ताव हेतु पालनार्थ।
22. इन्वार्ज, सर्वर रूम, निदेशालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश वेबसाईट पर प्रदर्शित करते हुए संबंधित को ई-मेल पर भी भिजवायें।
23. आदेश/रक्षित पत्रावली।

१८.७.१९

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान जयपुर